

JA 84/17
 24/10/17
 - कायालपेजिल कलेक्टर सुवादी जयधर
 उन्वान नरेंद्र सिंह एस सुधीरा सिंह

23/4/18 वकील... उमय... पक्ष उपस्थित
 पीठासीन अधिकारी महो... डी.ए. कार्म
 व्यस्त है अतः पत्रावली गत आदेशानुसार
 दिनांक... 15/5/18... को पेश हो

15/5/18 वकील... उमय... पक्ष उपस्थित
 पीठासीन अधिकारी महो... (व्याजानरव)
 व्यस्त है अतः पत्रावली गत आदेशानुसार
 दिनांक... 11/6/18... को पेश हो

11/6/18 वकील... उमय... पक्ष उपस्थित
 पीठासीन अधिकारी महो... क.ए.ए. कार्म
 व्यस्त है अतः पत्रावली गत आदेशानुसार
 दिनांक... 4/7/18... को पेश हो

4/7/18 वकील... उमय... पक्ष उपस्थित
 पीठासीन अधिकारी महो... डी.ए. कार्म
 व्यस्त है अतः पत्रावली गत आदेशानुसार
 दिनांक... 6/8/18... को पेश हो

3083
 4/7/18

6/8/18 पत्रावली पेश हुई। वकील उमय पक्ष। उफो/वकील
 अणार्थी द्वारा कथन किया कि यह प्राथम्य जिस
 पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध प्राप्त किया गया
 है उनका अन्यत्र (व्याजानरव) हो गया है। इसलिये
 प्रपिठान की ओर से प्राप्त मुन्तकिली प्राथम्य
 रकारिज किये जाने का वत निवेदन किया गया। वकील
 अणार्थी के कथन से मैं सहमत हूँ। अतः प्राप्त
 मुन्तकिली ज्ञापना प्रभावहीन हो जाने के कारण
 रकारिज किया जाता है। पत्रावली क्रमसम सुधार
 होकर नम्बर से क्रम हो एवं बाद त्करीब दालिक
 कम्प्लेट की जावे। अस्त। (उनाधी उमय)